

**बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग**

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक-05.08.2026

संख्या-सं0का0-1/वि0मं0(शपथ/प्रतिज्ञान)01-02/2026-927/ बिहार के राज्यपाल के दिनांक-05.08.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् के सभापति, श्री अवधेश नारायण सिंह को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ जिसके समक्ष, भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उप खण्ड (ड) के अधीन बिहार विधान परिषद् में नाम निर्देशित किये गये सदस्य अपनी जगह लेने के पहले शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे।

पटना,
दिनांक-05.08.2026

ले ज सय्यद अता हसनैन
राज्यपाल, बिहार।”

ह0/-

(राजेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या- सं0का0-1/वि0मं0(शपथ/प्रतिज्ञान)01-02/2026-927/

पटना, दि०-05.08.2026

प्रतिलिपि-श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् को माननीय राज्यपाल, बिहार के आदेश की मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या- सं0का0-1/वि0मं0(शपथ/प्रतिज्ञान)01-02/2026-927/

पटना, दि०-05.08.2026

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या- सं0का0-1/वि0मं0(शपथ/प्रतिज्ञान)01-02/2026-927/

पटना, दि०-05.08.2026

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक-05.08.2026

संख्या-सं0का0-1 / वि0मं0(शपथ / प्रतिज्ञान)-01-02 / 2026-928 / अधिसूचना संख्या-927 दिनांक-05.08.2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / -
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
Department of Parliamentary Affairs

:: NOTIFICATION ::

Patna, dated-05.08.2026

No: -P.A.-1/V.M.(oath/affir)-01-02/2026-927/ The following order of the Governor of Bihar dated the 05.08.2026 is hereby published for general information: -

“In exercise of the powers conferred upon me under Article 188 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain, Governor of Bihar, hereby appoint Shri Awadhesh Narain Singh, Chairman, Bihar Legislative Council to be the person before whom the member, nominated in the Bihar Legislative Council under sub-clause (e) of clause (3) of Article 171 of the Constitution of India, shall before taking his seat, make and subscribe oath or affirmation.

Patna,
Dated -05.08.2026

Lt Gen Syed Ata Hasnain
Governor of Bihar.”

Sd/-

(Rajesh Kumar)

Additional Secy. to Govt.

Patna, Dated -05.08.2026

Memo No: - P.A.-1/V.M.(oath/affir)-01-02/2026-928/

Copy forwarded: - Shri Awadhesh Narain Singh, Hon'ble Chairman, Bihar Legislative Council for information and necessary action enclosed with original order copy of Hon'ble Governor of Bihar.

Sd/-

Additional Secy. to Govt.

Patna, Dated -05.08.2026

Memo No: - P.A.-1/V.M.(oath/affir)-01-02/2026-928/

Copy forwarded: - Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Dy. Chief Minister, Parliamentary Affairs Department, Bihar, Patna/ Secretary in-charge, Bihar Legislative Council, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Chairman, Bihar Legislative Council for information and necessary action.

Sd/-

Additional Secy. to Govt.

Patna, Dated -05.08.2026

Memo No: - P.A.-1/V.M.(oath/affir)-01-02/2026-928/

Copy forwarded:-Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for publication in the extra ordinary Bihar Gazette and I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department for uploading on Departmental website.

05/08/2026
Additional Secy. to Govt.